27/3/17 वकील वादी द्वारा वकील वादी प्रति-प्र. 7 नि.11 को पुनः तलबी हेतु तलबाना पेश कर। पश्चात वाद तलबी प्रति-प्र 7 नि.11 दि० 22/5/17 को पेश है।

23/6/17. आज यह पश्चात साधारण लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम महलां पर पेश है। वादी स्वयं व वादी द्वारा प्रार्थना किन्तु इस आशय का पेश किया कि वादी इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है अतः वाद को आगे नहीं चलाया जाकर है प्रमाण पर वकील को सुना गया व मिसिल का अवलोकन किया जाना उचित होता है

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है। पश्चात फैसल रद्दशुदा होकर नाखत के बाद है।

सहायक कलक्टर
(कैम्प कोर्ट) महलां